>

Title: Need to declare land belonging to Scheduled Castes and OBCs as revenue land and giving ownership right to them in Distt. Udham Singh Nagar, Uttarakhand.

श्री के.सी.िंसह 'बाबा' (नैनीताल-उधमसिंह नगर): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र उत्तराखंड के ऊधमसिंह नगर जिले में सितारगंज के अंतर्गत ग्राम गोठा एवं लौका पंडरी के दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों की भूमि को पुनः राजस्व भूमि घोषित करने तथा मालिकाना हक दिलाने के संबंध में केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

बेगुल बांध के निर्माण के बाद बांध के आस-पास बची भूमि पर ग्राम गोठा एवं लोका पंडरी के भूमिहीन दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों ने कठिन परिश्रम कर बंजर भूमि को अपनी आजीविका चलाने के लिए कृषि योग्य बनाया। यह भूमि पहले राजस्व भूमि थी। ग्राम निवासी इस भूमि पर लगभग पिछले चालीस वर्षों से खेती कर अपने परिवार का पालन-पोषण करते आ रहे हैं। कई दशकों से इन परिवारों द्वारा कब्जे वाली भूमि में से कुछ भूमि को वन विभाग ने अधिग्रहण कर लिया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम केंद्र सरकार से पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि इस लोकहित के अति महत्वपूर्ण मामले पर हस्तक्षेप कर गरीब, भूमिहीन, दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को भूमि को राजस्व भूमि घोषित करें, मालिकाना हक दिया जाए जिससे ये लोग अपने परिवार का पालन-पोषण कर सकें। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं।